BSA

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–सुलतानपुर।

पत्रांकः–बेसिक / मान्यता / A7844-50 / 2019–20 दिनांक– 04/3/2020

प्रबन्धक,
सावित्री देवी पब्लिक स्कूल प्रा0वि0, पलिया गोलपुर
विकास क्षेत्र–दोस्तपुर
जनपद–सुलतानपुर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 एवं शासनादेश संख्या 89 / अरसठ–3–2018–2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक–11 जनवरी 2019 में विहित प्रावधानों के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 8 तक हिन्दी माध्यम अस्थायी एक वर्ष हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपबन्ध–1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011(उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करने सम्बन्धी शपथपत्र उपलब्ध करायेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता– पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा –

(क) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(घ) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
(च) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
(छ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया–कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन वांछित न्यूनतम अर्हताओं का होना आवश्यक है।
9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्टीकरण अधिनियम 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्टीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगत या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-- Sultanpur (U.P.)

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

13. विद्यालय के लेखाओं के की किसी चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **PT07G** है।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. विभाग द्वारा दिये जाने वाले यू-डायस प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
18. उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
19. विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम मान्यता का वर्ष विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा अधिकतम 02 वर्ष में रंगाई-पुताई करना भी अनिवार्य है।
20. विद्यालय का निरीक्षण सरकारी, स्थानीय अथवा उच्च शिक्षाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
21. बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं का दिया जाना भी अनिवार्य होगा।
22. विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है।
23. विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा तथा अनुदान स्वीकृति का दावा नहीं करेगा।
24. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न तो कोई अनुभाग खोला जायेगा और न ही बन्द अथवा स्थानान्तरित किया जायेगा।
25. गुणवत्ता के निर्धारित अधिगम स्तर को प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
26. कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक शिक्षणकार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा।

03-03-2020

(सन्तोष कुमार सक्सेना)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

पृ0सं0: पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
4. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि0क्षे0-दोस्तपुर, सुलतानपुर।
6. गार्ड फाइल/पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि पत्रावली तथा आदेश अपनी अभिरक्षा में संरक्षित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)

MANAGER
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHOOL
Sultanpur (U.P.)

PRINCIPAL
SAVITRI DEVI PUBLIC SCHO
Paliya Golpur-Sultanpur (U.P.)